

लाडो विला पीजी केवल मात्र लड़कियों के लिए

पीजी नियम और विनियम

नोट :- सभी नियम और विनियम पीजी मालिक संगीता शर्मा द्वारा अधिकृत है।
व्हाट्सअप नम्बर +85252281109
(हांगकांग)

- विधार्थी / निवासी को नियम-कायदे तथा मालिक / वार्डन प्रबन्धक के निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।
- आपको रात 10 बजे तक अपने कमरे पर लौटना होगा।
- आपको कमरे के अन्दर चूल्हा / इलैक्ट्रॉनिक स्टोव रखने की अनुमति दी गई है। अगर आपके कमरे में आग लग जाती है तो इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होंगे तथा आपको हुए नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी और उसकी मरम्मत करवानी होगी।
- रसोई का फर्नीचर सही एवं चालू अवस्था में दिया जायेगा। आपके निवास काल के दौरान इसमें यदि कुछ टूट-फूट खराबी होती है, तो आप उसे स्वयं अपने खर्चे पर सही करवायेंगे। रसोई में कोकरोज एवं फर्नीचर पर गन्दगी ना हो इसका कृपया ध्यान रखें।
- आपको अपने कमरे में किसी भी प्रकार की बड़ी नकद राशि या कोई कीमति आभूषण रखने की अनुमति नहीं है और यदि किसी प्रकार की स्थिति में रखा जाता है तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी और जोखिम होगा। कृपया अपने मोबाईल लैपटाप का ध्यान रखें। अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
- आपके वाहन पार्किंग एवं हैलमेट की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। हमारे द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी का सहयोग दिया जायेगा। तकनीकी खराबी मान्य हो सकती है।
- परिसर के अन्दर किसी भी पुरुष की अनुमति नहीं केवल अभिभावक जिनका ब्यौरा फोटो के साथ आवेदन पत्र में दिया गया केवल उन्हीं को परिसर में कुछ समय के लिए आवश्यक कार्य हेतु अनुमति होगी। आवश्यक कार्य पढ़ने पर अभिभावक 2-3 दिन अपनी बच्ची के साथ रुक सकते हैं।**
- पीजी में मांसाहारी पदार्थ / भोजन एवं मादक पदार्थ लाने की अनमति नहीं है अण्डा, मास, मछली लाना एवं पकाना सख्त मना है। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन एवं शराब, बीयर, ड्रग्स, तम्बाकू परिसर में लाना एवं रखना भी मना है।**
- नोट:- पकड़े जाने पर आपका आवेदन रद्द कर दिया जावेगा। दण्ड के रूप में आपकी एक महीने के किराये की एडवांस जमा राशि आपको वापस नहीं दी जायेगी।**
- आपको अपने जूते चप्पल जूते की रैक में व्यवस्थित रखने होंगे।
- रात 10:00 बजे के बाद छत का गेट बन्द हो जायेगा।
- आपको अपने कमरे में किसी भी प्रकार के हानिकारक हथियार रखने की अनुमति नहीं है।
- अपने कमरे की दीवारों एवं खिड़की दरवाजों पर पोस्टर, समय सारणी, कार्टून या फोटो लगाना सख्त मना है।
- यदि आवेदन पत्र में दिए गए समय से पहले कमरा खाली कर दिया जाता है। तो अग्रिम जमा राशि आपको वापस नहीं दी जायेगी।
- अपने स्वयं के शौचालय को पूरी तरह से साफ रखना आपकी जिम्मेदारी हैं यदि पीजी प्राधिकरण या वार्डन द्वारा शौचालय को गंदा पाया जाता है तो आपको चेतावनी दी जायेगी इसे स्वयं साफ करना होगा या स्वयं को साफ कराने के लिए भुगतान करना होगा।
- आपके कमरे में सभी वस्तुएं कार्यरत / चालू हालात में दी जावेगी, ए.सी., गीजर, पंखा, ट्यूब लाइट, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन इत्यादि यदि आपके निवास कार्यकाल के दौरान कुछ भी खराब होगा तो उसे ठीक आपको करवाना होगा या उसको ठीक करवाने का खर्च का भुगतान स्वयं को करना पड़ेगा।
- ग्राउण्ड फ्लोर पर बने बड़े डस्टबीन में रोज सुबह-शाम कूड़ा डाला जायेगा।
- मकान के फ्रण्ट साईड के कमरों में जो छात्रा रह रही है वह अपने कपड़े बालकोनी या खिड़कियों में नहीं सुखायेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण की वजह एवं मकान की सुन्दरता का ध्यान रखना होगा व कपड़े उपर छत पर सुखायेंगी।
- सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश द्वार पर बायोमैट्रिक लोक का उपयोग करने पर दरवाजा बन्द करना ना भूलें।
- यदि आप 3 बार से अधिक की चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ते हैं तो दण्ड के रूप में आपकी अग्रिम जमा राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी एवं आपको कमरा तुरन्त खाली करना पड़ेगा।
- आवेदन पत्र में यदि आपके द्वारा दिया गया विवरण गलत पाया जाता है तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जावेगा।
- आपके द्वारा मेरे साथी निवासियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- आपको किराया प्रतिमाह की 01 तारीख को जमा कराना होगा। कारण विशेष से 2-3 दिन से ज्यादा लेट स्वीकार नहीं होगा।
- पीजी में ठहरने के दौरान आपको बाहर के किसी भी अनुशासनहीनता या अवैध गतिविधियों में शामिल होना सख्त मना है।
- वार्डन महीने में एक बार आपके कमरों की जाँच करने आयेगी और यदि आपका कमरा गंदा पाया गया तो आपको चेतावनी दी जायेगी।
- वार्डन को समय-समय पर कॉमन एरिया की सफाई करनी होगी।
- आपका मोबाईल नम्बर, टेलीफोन नम्बर एवं पता हर समय वर्तमान स्थिति में कार्यरत एवं वैध होना चाहिए यदि कोई परिवर्तन होता है तो पीजी प्रबन्धन को तुरन्त सूचित कर आवेदन पत्र में अपडेट कराना होगा।
- प्रत्येक कमरे का बिजली के उपयोग का मीटर राशि व्यक्तिगत रूप से देय होगी साथ ही कॉमन एरिया के मीटर की राशि रह रही सभी निवासी में समान रूप से बांटकर देनी होगी।
- पानी का बिल या अतिरिक्त पानी टैंकर खर्च सभी निवासी छात्राओं में बराबर बांटा जायेगा।

श्रद्धा विला पीजी केवल मात्र लड़कियों के लिए

पीजी नियम और विनियम

नोट :- सभी नियम और विनियम पीजी मालिक संगीता शर्मा द्वारा अधिकृत है।
व्हाट्सअप नम्बर +85252281109
(हांगकांग)

- विधार्थी / निवासी को नियम-कायदे तथा मालिक / वार्डन प्रबन्धक के निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।
 - आपको रात 10 बजे तक अपने कमरे पर लौटना होगा।
 - आपको कमरे के अन्दर चूल्हा / इलैक्ट्रॉनिक स्टोव रखने की अनुमति नहीं है। अगर आपके कमरे में आग लग जाती है तो इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होंगे तथा आपको हुए नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी और उसकी मरम्मत करवानी होगी।
 - आपको अपने कमरे में किसी भी प्रकार की बड़ी नकद राशि या कोई कीमति आभूषण रखने की अनुमति नहीं है और यदि किसी प्रकार की स्थिति में रखा जाता है तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी और जोखिम होगा। कृपया अपने मोबाईल लैपटाप का ध्यान रखें। अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
 - आपके वाहन पार्किंग एवं हेलमेट की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। हमारे द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी का सहयोग दिया जायेगा। तकनीकी खराबी मान्य हो सकती है।
 - परिसर के अन्दर किसी भी पुरुष की अनुमति नहीं केवल अभिभावक जिनका ब्यौरा फोटो के साथ आवेदन पत्र में दिया गया केवल उन्हीं को परिसर में कुछ समय के लिए आवश्यक कार्य हेतु अनुमति होगी। आवश्यक कार्य पढ़ने पर अभिभावक 2-3 दिन अपनी बच्ची के साथ रुक सकते हैं।
 - पीजी में मांसाहारी पदार्थ / भोजन एवं मादक पदार्थ लाने की अनुमति नहीं है अण्डा, मास, मछली लाना एवं पकाना सख्त मना है। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन एवं शराब, बीयर, ड्रग्स, तम्बाकू परिसर में लाना एवं रखना भी मना है।
- नोट:- पकड़े जाने पर आपका आवेदन रद्द कर दिया जावेगा। दण्ड के रूप में आपकी एक महीने के किराये की एडवांस जमा राशि आपको वापस नहीं दी जायेगी।**
- आपको अपने जूते चप्पल जूते की रैक में व्यवस्थित रखने होंगे।
 - रात 10:00 बजे के बाद छत का गेट बन्द हो जायेगा।
 - आपको अपने कमरे में किसी भी प्रकार के हानिकारक हथियार रखने की अनुमति नहीं है।
 - अपने कमरे की दीवारों एवं खिड़की दरवाजों पर पोस्टर, समय सारणी, कार्टून या फोटो लगाना सख्त मना है।
 - यदि आवेदन पत्र में दिए गए समय से पहले कमरा खाली कर दिया जाता है। तो अग्रिम जमा राशि आपको वापस नहीं दी जायेगी।
 - अपने स्वयं के शौचालय को पूरी तरह से साफ रखना आपकी जिम्मेदारी हैं यदि पीजी प्राधिकरण या वार्डन द्वारा शौचालय को गंदा पाया जाता है तो आपको चेतावनी दी जायेगी इसे स्वयं साफ करना होगा या स्वयं को साफ कराने के लिए भुगतान करना होगा।
 - आपके कमरे में सभी वस्तुएं कार्यरत / चालू हालात में दी जावेगी, ए.सी., गीजर, पंखा, ट्यूब लाइट, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन इत्यादि यदि आपके निवास कार्यकाल के दौरान कुछ भी खराब होगा तो उसे ठीक आपको करवाना होगा या उसको ठीक करवाने का खर्च का भुगतान स्वयं को करना पड़ेगा।
 - ग्राउण्ड फ्लोर पर बने बड़े डस्टबीन में रोज सुबह-शाम कूड़ा डाला जायेगा।
 - मकान के फ्रण्ट साईड के कमरो में जो छात्रा रह रही है वह अपने कपड़े बालकोनी या खिड़कियों में नहीं सुखायेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण की वजह एवं मकान की सुन्दरता का ध्यान रखना होगा व कपड़े उपर छत पर सुखायेंगी।
 - सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश द्वार पर बायोमैट्रिक लोक का उपयोग करने पर दरवाजा बन्द करना ना भूलें।
 - यदि आप 3 बार से अधिक की चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ते हैं तो दण्ड के रूप में आपकी अग्रिम जमा राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी एवं आपको कमरा तुरन्त खाली करना पड़ेगा।
 - आवेदन पत्र में यदि आपके द्वारा दिया गया विवरण गलत पाया जाता है तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जावेगा।
 - आपके द्वारा मेरे साथी निवासियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
 - आपको किराया प्रतिमाह की 01 तारीख को जमा कराना होगा। कारण विशेष से 2-3 दिन से ज्यादा लेट स्वीकार नहीं होगा।
 - पीजी में ठहरने के दौरान आपको बाहर के किसी भी अनुशासनहीनता या अवैध गतिविधियों में शामिल होना सख्त मना है।
 - वार्डन महीने में एक बार आपके कमरों की जाँच करने आयेगी और यदि आपका कमरा गंदा पाया गया तो आपको चेतावनी दी जायेगी।
 - वार्डन को समय-समय पर कॉमन एरिया की सफाई करनी होगी।
 - आपका मोबाईल नम्बर, टेलीफोन नम्बर एवं पता हर समय वर्तमान स्थिति में कार्यरत एवं वैध होना चाहिए यदि कोई परिवर्तन होता है तो पीजी प्रबन्धन को तुरन्त सूचित कर आवेदन पत्र में अपडेट कराना होगा।
 - प्रत्येक कमरे का बिजली के उपयोग का मीटर राशि व्यक्तिगत रूप से देय होगी साथ ही कॉमन एरिया के मीटर की राशि रह रही सभी निवासी में समान रूप से बांटकर देनी होगी।
 - पानी का बिल या अतिरिक्त पानी टैंकर खर्च सभी निवासी छात्राओं में बराबर बांटा जायेगा।